राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 जयपुर,दिनांकः 19.01.2023

–ःपरिपत्रः–

विषयः–समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन भरने के संबंध में।

राज्य में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का पत्र क्रमांक 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 30.12.2021 प्रावधान किया हुआ है। जिसके बिन्दु संख्या 2 निम्न प्रकार हैः–

''जो अधिकारी/कर्मचारी अपने अचल सम्पति विवरण की सूचना ऑन–लाईन नही भरेंगा उसे कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76) का. /क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत प्रशासनिक विभाग द्वारा उसको विजीलेंस क्लीयरेंस नही दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर भी विचार नही किया जावेगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम स्वायत्तशाषी संस्थाओं उपक्रमों पर भी लागू है।''

परिपत्र के बिन्दु संख्या 2 में पदोन्नति के संबंध में निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट की जाती हैः–

''अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑन–लाईन नही भरने वाले राजसेवक की पदोन्नति की पात्रता पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जायेगा एवं पदोन्नति हेतु अन्यथा पात्र पाये जाने पर पदोन्नति की अनुशंषा भी की जा सकेगी परन्तु प्रशासनिक विभाग द्वारा पदोन्नति आदेश तब तक जारी नहीं किये जायेगे जब तक कि अचल सम्पत्ति विवरण ऑन–लाईन नही भरा जावे। पदोन्नति आदेश में स्पष्ट किया जावे कि उसके पदोन्नति आदेश किस कारण से रोके गये है। ऐसे पदोन्नत राजसेवक को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ रिक्ति दिनांक से तथा वास्तविक लाभ पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा।''

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.01.19 19:05:22 IST
Reason: Approved

2017 (1)

RajKaj Ref No. : 3060354

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव /उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित ।
9. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.01.19 19:05:22 IST
Reason: Approved

2017 (2)